

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविस्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4040-JYOTIRADITAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND RESEARCH,VILL-DHARAUJI MADHUPUR,KOHANDAUR,TEHSIL-PATLI,PRATAPGARH-230405

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

**कार्यालय,
सम्वत्, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

संलग्नक दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय ज्ञापन-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक की अधिसूचना में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभितों द्वारा सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-नु में विद्यार्थी इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन कर्ता के नाम से सम्मुख अधिकार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभितों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदाता अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये एप्रोवाइल निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1042	न्योडिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देवदेवराज एण्ड सिकर, सिरोहा-सारीजी, मातोपुर, कोटा-टीए.एड0-सारी, जयपुर।	किरिग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग	120 120 60	120 120 60

सम्बद्धता हेतु सर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा नियोजित की गयी सर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था जयपुर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1982, सेक्टर विनियमधारी-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं अधिसूचों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निधारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कर्नाटी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कर्नाटी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। सम्बद्धता के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर सलाह द्वारा निर्णय किये जाने वाले खासलादेश बहाली होगे, और संप्रसारण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निधारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कौशल का पुनर्निधारण किया जाता है, तो कौशल की परीक्षण दर लागू होगी।

